भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 : 8B/UP/04/32/2022/FC | 142

दिनांक : As per E-signed

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/41830/2019

विषयः जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग में रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को 25 वर्षो (दिनांक 15.10.1996 से 14.10.2021 तक) हेतु लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 हे0 वनभूमि के लीज को आगामी 25 वर्षों (दिनांक 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) हेतु नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 2040/11–सी– FP/UP/TRANS/41830/2019, दिनांक 07.01.2026.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी–377/81–2–2021–800(330)/2021 दिनांक 11.02.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम–संख्यक पत्र दिनांक 30.01.2025 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचनाएं मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है।

प्रकरण को दिनांक 30.06.2026 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 6.4 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) ने प्रस्ताव को स्थगित (**Deferred**) कर दिया है। क्षेत्रीय सशक्त समिति ने प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु निर्धारित फॉर्म–बी (Renewal) में नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत करे। समिति ने निम्नलिखित सुझाव/टिप्पणियाँ प्रदान की हैं, जिनका नवीन प्रस्ताव तैयार करते समय समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है:–

1. The User Agency (UA) may withdraw the instant proposal on PARIVESH 1.0.
2. The demarcation of the Forest area in the KML file is still under-valued. Some forest areas are depicted as non-forest land. This shall be rectified in the new proposal.
3. According to the Google satellite imagery, partially planation activity/SMC work has been observed on the proposed CA land of Auri C-1, Viyahwa-4, Jogendra-1, Viyahawa-5 and Bihawa C.N-4. Clarification/Rectification in this regards shall be submitted.

भवदीया,

Digitally signed by
Vijaya Ratre
Date: 16-07-2026
13:03:49

(विजया रात्रे)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
5. श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेनुकूट।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

Scanned with OKEN Scanner